



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-417

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 328350 दिनांक 27/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Aishwarya Sharma W/o Himanshu Sharma	श्रीमती शशी कला पत्नी सुरेश चन्द	200	266.66 SQ. YARD	Private	NARAYAN VIHAR-P	Name Transfer	आवेदक श्रीमती एश्वर्या शर्मा पत्नी श्री हिमांशु शर्मा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निजी खातेदारी की योजना नारायण विहार पी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 200 क्षेत्रफल 266.66 वर्ग मीटर का नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। निजी खातेदारी की योजना नारायण विहार पी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 200 क्षेत्रफल 266.66 वर्ग मीटर की लीजडीड श्रीमती शशी कला पत्नी सुरेश चन्द के नाम जारी की गई। तत्पश्चात इनके द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान दिनांक 07.08.2025 को



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र के
माध्यम से श्री
रोहित कुमार
रूंगटा पुत्र श्री ब्रज
मोहन रूंगटा को
किया गया।
तत्पश्चात श्री
रोहित कुमार
रूंगटा पुत्र श्री ब्रज
मोहन रूंगटा
द्वारा उक्त
भूखण्ड का बेचान
दिनांक
25.08.2025 को
जरिये रजि विक्रय
पत्र के माध्यम से
आवेदिका श्रीमती
एश्वर्या शर्मा पत्नी
श्री हिमांशु शर्मा
को किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Aishwarya Sharma W/o Himanshu Sharma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।